मंडल की 28.4.2017 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	1.	मंडल की 15 मार्च 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की दिनांक 15.3.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों / संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	2.	मंडल की 31 मार्च 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की दिनांक 31.3.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों / संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
3.	3.	निविदा सं.47/2014- 2014-15 से तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट के अप्रोच चॅनलों, टर्निंग सर्कलों, बाहरी घाटों में निकर्षण रखरखाव. - ओसीटी घाट तथा चॅनल में निकर्षण आवश्यक्ता और द्वितीय रसायन घाट में अतिरिक्त कार्य निष्पादन को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
4.	4.	जेट्टी 5 जलावतरण मार्ग पर पिपापुल.	1. स्टॅम्प ड्यूटी रेडी रेकनर, 2017-18 के अनुसार पट्टा दर पर टिप्पणी के परिच्छेद 6 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. 2. उप संरक्षक जलयानों / नौकाओं के कार्य के संचालन के लिए उचित प्रणाली हेतु उपाय करे.	समुद्री
5.	5.	स्थायी स्थानान्तरण आधारपर मरीन अभियंता, मरीन विभाग के 2 रिक्त पदों के बदले वित्त विभाग में उप मुख्य लेखा अधिकारी के 2 अतिरिक्त पदों का संचालन - उप मुख्य लेखा अधिकारी तथा मरीन अभियंता के पदों के लिए भर्ती नियमों के संबद्ध प्रावधानों मे संशोधन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है. संयुक्त सचिव (पोर्ट) द्वारा उपरोक्त सुझाये गये पहलुओं की जाँच के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा.	मानव संसाधन प्रभाग
6.	6.	फ्लोटींग ड्राय डॉक का 7-इंदिरा गोदी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में लगाना.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
7.	7.	एम. टी. "सोंगा टोपाज": 28 सितंबर, 2013 को नव पीर पॉव जेट्टी, मुंबई में निर्माणाधीन द्वितीय रसायन घाट को क्षति - व्यवसाय संबंधी नुकसान.	निम्न को अनुमोदित किया जाता है - (i) इण्टरपोर्ट मरीन सर्विस प्रा. लि. को 10 दिनों के अन्दर सुधारित दावा 12,85,76,406 रुपये भुगतान करने के लिए सुचित करने; तथा (ii) कोई भुगतान प्राप्त न होने पर 15 करोड रुपये की बँक गारन्टी नकद प्राप्त करने को.	वित्त
8.	8.	निविदा सं.एस.50ए/2013- वर्ष 2014 एवं 2015 के दौरान 12 महीने की अवधि के लिए सामान्य कार्य उत्तर एवं दक्षिण प्रभाग के क्षेत्राधिकार में टँकर लारियों द्वारा कुअें के पानी की आपूर्ति तथा पीने योग्य पानी पहुँचाना - अतिरिक्त मात्रा तथा सुधारित लागत को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
9.	9.	आरसीएफ (कोड सं. 10104102) द्वारा पीर पॉव स्थित भूखण्ड सौंपना.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
10.	10.	जनरल मोटर्स इण्डिया प्रा. लि. को फेअर बेसिन शेड सं.3 में निरीक्षणपूर्व निगरानी सुविधाओं के लिए स्थान का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
11.	11.	मत्स्य घाट से मोरा तक पॅसेंजर लांच सर्विस - मत्स्य घाट में टिकट बुथ / छतरी लगाने हेतु विस्तार के लिए अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
12.	12.	प्रशुल्क नीति, 2015 के अन्तर्गत महापत्तन न्यासों द्वारा एआरआर संगणना तथा निर्देशांकित दरमानों की संगणना (SOR) के लिए वार्षिक वृध्दी घटक.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का वि.स. एवं मु.ले.अ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
13.	13.	निविदा सं. 47/2016 - मुंबई पोर्ट के इंदिरा गोदी बेसिन में निकर्षण रखरखाव. - बोली मूल्य की स्वीकृति.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14	14	निविदा सं. सीई.टी.06/2017 - इंदिरा गोदी में विभिन्न भंडारण यार्डों तथा घाटों में डामर सामग्री से सतह पुन: समतल करना एवं जल निकासी प्रणाली की मरम्मत करना / बदलना.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
15	15	मुंपोट्र कर्मचारी (आर एस पी) विनियम, 2010 - प्रशासनिक अधिकारी, सहा. सचिव श्रेणी.I, आदि पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के अन्तर्गत अनुलग्नक-I में यथा प्रस्तावित भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि इसी धारा 124 के अन्तर्गत सरकारी मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन
16	16	जवाहर दीप में 5 वें तेल घाट के निर्माण संबंधी सिविल कार्य - निरीक्षण के लिए तीसरे पक्ष की एजेन्सी की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17	17	बरसात की अवधि में प्लेजर नौका (याट) का संरक्षण.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
18	18	श्री. पारसनाथ जे. यादव, पूर्व विंच ड्रायवर, वेज सं. 555, पंजीकरण सं. 10161 ओबीएल, मुंपोट्र (पोर्ट की सेवा से 1.2.2016 से निवृत्त) के विरूध्द अनुशासनिक कार्रवाई.	बोर्ड के सम्पूर्ण अंशदान के भुगतान न करने के प्रस्तावित दण्ड की पृष्टी करने और कार्यान्वित करने हेतु यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात (ओबीएल)
19	19	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में जिप्सम/एमओपी जहाजों की सम्हलाई - 4-6 महीने के लिए माल भंडारण हेतु अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 और 8 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि विस एवं मुलेअ की टिप्पणीयों का अनुपालन हो.	यातायात
20	20	निविदा सं. ई.10/2017 - इंदिरा गोदी, मुंबई में वर्तमान मुंबई अन्तरराष्ट्रीय यात्री टर्मिनल का आधुनिकीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 के मुख्य अभियंता का प्रस्ताव को एवं चर्चा टिप्पणी के समापन परिच्छेद में संशोधित मापदण्ड को अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
21	21	इंदिरा गोदी में घेरादार गोदाम सं.16 तथा 17 का निर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
